समाहरणालय, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा के पत्रांक-38/गो0, दिनांक-21.08.2013 के आलोक में आदेश ज्ञापांक-1649/गो0, दिनांक-21.08.2013 द्वारा श्री संजय कुमार वर्मा, प्रधान लिपिक, जिला अभिलेखागार, मधेपुरा को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। श्री जयन्त कुमार सिंह, अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा (निवर्तमान) को संचालन पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, मधेपुरा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, मधेपुरा द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध कुल दो आरोप गठित किया गया।

1. श्री संजय कुमार वर्मा, प्रधान लिपिक, जिला अभिलेखागार, मधेपुरा द्वारा बिना किसी वरीय पदाधिकारी की अनुमति से अभिलेखागार में रक्षित खतियान की प्रति में तरमीम अंकित करने का कार्य किया गया है। यह कृत्य उनकी स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है।

2. श्री वर्मा द्वारा खतियान में तरमीम अंकन का कार्य पूर्व की तिथि (Back dating) में किया गया है। यह कृत्य जालसाजी का परिचायक है।

श्री जयन्त कुमार सिह, अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा के अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप पत्रांक-591/आ0प्र0, दिनांक-06.11.2013 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख एवं श्री वर्मा द्वारा समर्पित कारण पृच्छा सहित संलग्न कर वापस कर दिया गया। पुनः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-1161-2/स्था0, दिनांक-23.11.2013 के द्वारा श्री मोहन प्रकाश मधुकर, उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया, तथा विभागीय कार्यवाही संचालन कर अधिगम उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा के पत्रांक-316/सपत्र, दिनांक-06.02.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालनोपरान्त अधिगम प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी ने दोनो आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया।

संचालन पदाधिकारी के मंतब्य एवं सम्पूर्ण अभिलेख के समीक्षोपरान्त श्री वर्मा, से इस कार्यालय के ज्ञापांक-281-2/स्था0, दिनांक-25 मार्च 2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का आदेश दिया गया। श्री वर्मा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा एवं अधिगम के समीक्षोपरान्त लगाये गये दोनों आरोप पूर्णतः सत्य प्रमाणित हुए। फलतः श्री वर्मा निलंबित प्रधान लिपिक को निम्नांकित दण्ड अध्यारोपित किया जाता है:-

1. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (सह पठित बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2010 के नियम 14 वृहत शस्तियाँ (vii) के अन्तर्गत, श्री संजय कुमार वर्मा, प्रधान लिपिक (निलंबित) को निम्नतर पद पर प्रारंभिक वेतन में अवनत किया जाता है, जिसकी प्रभाव सीमा स्थायी होगी। अवनति उपरांत इनका नाम वरीयता सूची के अंतिम कम में होगा।

2. श्री वर्मा को निलम्बन अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देय नहीं होगा।

3. श्री वर्मा को चेतावनी दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं दोहरावें।

श्री वर्मा को तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है। जिला स्थापना उपसमाहर्त्ता को निदेश दिया जाता है कि श्री वर्मा की सेवापुस्त में उक्त दण्ड को प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।

श्री वर्मा, नि0व0लि0 को अंचल कार्यालय, आलमनगर में पदस्थापित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि वे पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर सम्बंधित कार्यालय में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें।

Sd/-

जिलाधिकारी,

मधेपुरा

ज्ञापांक 922-2 /स्था0, मधेपुरा, दिनांक 02-05-2014 ।

प्रतिलिपि :- श्री संजय कुमार वर्मा, नि0व0लिपिक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा/जिला स्थापना उप-समाहर्त्ता, मधेपुरा/अनुमंडल पदा0, उदाकिशुनगंज/अंचल अधिकारी, आलमनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/05/14

जिलाधिकारी,

मधेपुरा